बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

आ0सं0–3/अ0प्र0–1–523/12 43 /पटना, दिनांक 8.9.21

श्री महेश प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, प्रखंड जहानाबाद के विरूद्ध पंडुई ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत मनरेगा योजना संख्या 2,4,5,7,8 (वर्ष 2006–07) एवं योजना संख्या–2,5 (वर्ष 2007–08) में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों पर परस बिगहा थाना कांड संख्या–119/2010 दिनांक 25.10.2010 दर्ज की गई तथा पथ निर्माण विभाग के आदेश सं0 117 दिनांक 21.06.13 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उपर्युक्त आरोपों पर उप विकास आयुक्त, जहानाबाद द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर जिला पदाधिकारी जहानाबाद के पत्रांक 256 दिनांक 27.01.14 के माध्यम से श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। तद्‌लोक में श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 2670 दिनांक 31.08.16 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकारयोग्य पाते हुए कार्यालय आदेश संख्या–54 दिनांक 11.06.2019 द्वारा उन्हें निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या–85–सह–पठित ज्ञापांक–3529 अनु0 दिनांक 29.11.19 द्वारा मुख्य अभियंता–4 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. कालान्तर में श्री महेश प्रसाद, कनीय अभियंता से निलम्बन से विमुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरान्त कार्यालय आदेश सं0 15 दिनांक 06.03.2020 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रसाद के निलंबन अवधि का विनिमयन इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा। इसप्रकार श्री महेश प्रसाद, कनीय अभियंता दिनांक 11.06.2019 से 05.03.2020 तक निलम्बित रहे।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3954 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध मास्टर रौल के Inspection में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 600 दिनांक 24.03.2021 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री प्रसाद द्वारा आवेदन दिनांक 07.04.2021 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया।

5. श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत मनरेगा योजना के मास्टर रौल में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आने के पश्चात श्री प्रसाद द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को वित्तीय क्षति से बचाया गया परन्तु इनके द्वारा मास्टर रौल के Inspection में लापरवाही बरतने के संबंध में दिया गया बचाव बयान स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में,

(i) श्री महेश प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2007 के नियम 14 (i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

निंदन (आरोप वर्ष 2007–08)

(ii) श्री प्रसाद के निलम्बन अवधि दिनांक 11.06.2019 से 05.03.2020 के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित की जाती है।

8/9/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–523/12 1272 /पटना, दिनांक :– 8.9.21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री महेश प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–523/12 1272 /पटना, दिनांक :– 8.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/9/21

अभियंता प्रमुख